ORDER SHEET

THE COURT

1 of 2016 H.M.A

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10/07/2017	आवेदक द्वारा श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता उप.। अनावेदिका द्वारा श्री रमेशबाबू दोदेरिया अधि उप. आवेदक की ओर से मूल याचिका के जवाब के समय अदा की जाने वाली राशि पांच सो रूपये अदा नहीं की गयी । इस हेतु अवसर चाहा गया । अनावेदिका की ओर से आपित की गयी । उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दि0—20/01/017 के आदेश से प्रकरण के व्यय के रूप में कुल दो हजार रूपये की राशि अनावेदिका को दिलाये जाने का आदेश किया गया है जिसमें से पांच सो रूपये मूल याचिका के जवाब प्रस्तुति के समय, पांच सो रूपये आवेदक की साक्ष्य प्रारंभ होने पर और एक हजार रूपये स्वयं की खण्डन साक्ष्य के स्तर पर प्रकरण नियत होने पर आवेदक द्वारा अनावेदिका को प्रदान किए जाने का आदेश किया गया है। परंतु तब से पांच माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है और 06 तारीख पेशियां गुजर चुकी हैं, उसके बावजूद भी आवेदक के द्वारा जवाब प्रस्तुति के स्तर की राशि पांच सो रूपये अदा नहीं की गयी है, पिछली दिनांक को जवाब प्रस्तुति के समय की राशि पांच सो रूपये अदा न करने पर प्रकरण निरस्त कर दिये जाने का आदेश कर दिया गया था। चूंकि आज भी आवेदक के द्वारा राशि अदा नहीं की गयी है। अतः यह प्रकरण राशि अदा न करने व न्यायालय के आदेश का पालन न करने के कारण निरस्त किया जाता है। मेमो ऑफ कॉस्ट तैयार किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो। (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,गोहद	